न्यायालय–नीरज कुमार त्यागी, अवर न्यायाधीश (प्रथम), नरकटियागंज
स्तत्व वाद सं0:–114/1999
CIS NO. - 202/2019

ओम प्रकाश आर्य.....वादी

बनाम

हुस्न बानो एवं अन्य.....प्रतिवादीगण

DATE	ORDER	REMARKS
23.11.2022	उभय पक्षों की ओर से पैरवी है। आज अभिलेख प्रतिवादीगण की ओर से दिये गये आवेदन दिनांक 03.08.2022 संबंधित आदेश 13 नियम 10 वो 151 व्यवहार प्रक्रिया संहिता के तहत दाखिल आवेदन के आदेश हेतु नियत है। **आदेश (ORDER)** प्रतिवादीगण की ओर से अपने आवेदन दिनांक 03.08.2022 में कहा गया है कि वादी के द्वारा दिनांक 19.07.2022 को परताली खतियान की सच्ची प्रतिलिपि खाता 6/531 खेसरा 243/88 की जमा किया है जो बेतिया राज के द्वारा जारी किया गया है। परताली खतियान को देखने से स्पष्ट है कि उसपर ओवर राईटिंग है। वह बेतिया राज द्वारा कभी भी जारी नही किया गया है। उसपर किये गये हस्ताक्षर एवं मोहर सन्देहास्पद प्रतीत होती है। अतः श्रीमान् से निवेदन है कि परताली खतियान जो दिनांक 30.06.2022 को जारी किया गया है उसे बेतिया राज के कार्यालय भेजकर कार्यालय से परताली खतियान के संबंध में प्रतिवेदन माँगने की कृपा करें। वादी की ओर से दिनांक 23.08.2022 को प्रत्युत्तर दाखिल किया गया जिसमें प्रतिवादीगण के आवेदन को कानून एवं तथ्य दोनों ही दृष्टिकोण से खारिज करने योग्य बताया गया तथा परताली खतियान को बेतिया राज के कार्यालय से जाँच कराने में काफी समय लगना एवं न्यायालय का बहुमूल्य समय बर्बाद होना बताया गया क्योंकि अभिलेख बहस हेतु नियत है। उभय पक्षों को सुना गया। अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख अवलोकन से विदित होता है कि वादी की तरफ से जो परताली खतियान दाखिल किया गया है वह सच्ची प्रतिलिपि है जो लोक दस्तावेज की श्रेणी में आती है जो इस न्यायालय द्वारा दिनांक 07.09.2022 को मो0–500/– रूपये हर्जे पर प्रदर्श की जा चुकी है तथा प्रतिवादीगण द्वारा मो0–500/– रूपया हर्जा	

<u>न्यायालय–नीरज कुमार त्यागी, अवर न्यायाधीश (प्रथम), नरकटियागंज</u>
<u>स्तत्व वाद सं0:–114/1999</u>
CIS NO. - 202/2019

लगातार 23.11.2022	भी ले लिया गया है। विधि का सुस्थापित नियम है कि न्यायालय को किसी भी पक्षकार के पक्ष में साक्ष्य एकत्रित नही करना चाहिए। अगर कोई दस्तावेज संदेहास्पद है तो पक्षकार को उस दस्तावेज के संदेहास्पदता के बारे में साक्ष्य देना चाहिए क्योंकि लोक दस्तावेज की सच्ची प्रतिलिपि के सही होने की उपधारणा न्यायालय द्वारा की जाती है। जबतक की उसके विपरीत कोई साक्ष्य अभिलेख पर न हो। वाद काफी पुराना है तथा बहस हेतु नियत है। अतः प्रतिवादीगण के आवेदन से ऐसा प्रतीत होता है कि वाद को लंबित रखने हेतु आवेदन दाखिल किया गया है। अतः प्रतिवादीगण का आवेदन दिनांक 03.08.2022 को खारिज किया जाता है। आगामी दिनांक 07.12.2022 वास्ते वादी बहस हेतु नियत। लेखापित अवर न्यायाधीश, प्रथम नरकटियागंज	